



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 75]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

नागर विमानन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 78(अ).—जबकि वायुयान नियम 1937 में और संशोधन करने के लिए, वायुयान (संशोधन) नियम, 2014 का प्रारूप, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 04 अगस्त, 2014 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 576(अ), के द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसे ऐसे व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई;

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 11 अगस्त, 2014 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रारूप नियमों की बाबत प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किए जा चुके हैं।

अतः अब केंद्रीय सरकार, उक्त वायुयान अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. वायुयान नियम, 1937 (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,—
(क) खंड (10 क) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:—

“(10 क क) “प्राधिकृत पक्षकार” से केपटाउन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XIII (3) में उल्लिखित पक्षकार अभिप्रेत है;

(ख) खंड 11क के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः—

“(11 क क) “केपटाउन अभिसमय” से 16 नवंबर, 2001 को केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षरित गतिशील उपस्करों में अंतरराष्ट्रीय हितों पर केपटाउन अभिसमय के साथ-साथ उस संबंध में बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है जैसा कि भारत द्वारा तारीख 31 मार्च, 2008 को मान लिया गया है;

(11 क ख) “केप टाउन प्रोटोकॉल” से दिनांक 16 नवंबर, 2011 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हस्ताक्षरित विमान उपस्करों के लिए विनिर्दिष्ट मामलों पर केप टाउन अभिसमय के साथ साथ इसके संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2008 को भारत द्वारा यथा स्वीकृत किए गए किसी भी अनुमोदन से संबंधित प्रोटोकॉल अभिप्रेत है;”

(ग) खंड 28 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(28 क) “आई डी ई आर ए” से केपटाउन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XIII में यथा अनुध्यात अप्रतिसंहरणीय रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकार और केपटाउन प्रोटोकॉल के अनुबंध के अनुसार उपबंधित सारतः प्ररूप और रीति अभिप्रेत है;

(28 ख) “आई डी ई आर ए धारक” से किसी आई डी ई आर ए के अधीन प्राधिकृत पक्षकार या उसका प्रमाणित नामित व्यक्ति अभिप्रेत है;”

(घ) खंड 47 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थातः-

“(47 क) “पंजीकृत हित” से केपटाउन अभिसमय के अध्याय V के अनुसरण में पंजीकृत कोई हित अभिप्रेत है;”

3. उक्त नियम के नियम 30 में:-

(क) उप नियम (6) में, खंड (iv) में “प्रवृत्त नहीं है” शब्दों के स्थान पर “समाप्त हो गया है; या लागू विधि के अनुसार समाप्त कर दिया गया है” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-नियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, नामतः—

“(7) यदि आई डी ई आर ए धारक से निम्नलिखित के साथ कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजीकृत किसी वायुयान के रजिस्ट्रीकरण जो केपटाउन अभिसमय या प्रोटोकॉल के उपबंध पर लागू होता है, को रद्द किया जा सकेगा:

(i) आई डी ई आर ए की मूल प्रति या नोटरीकृत प्रतिलिपि;

(ii) वह प्रमाणपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि सभी पंजीकृत हितों के श्रेणीकरण को प्राथमिकता के आधार पर निपटा दिया गया है या ऐसे हितधारकों ने रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण और निर्यात के लिए सहमति दे दी है;

परंतु उप-नियम (6) या उप-नियम (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वायुयान के रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण की प्रक्रिया उसकी किसी संस्था या किसी अंतर-सरकारी संगठन, या भारत में लोक सेवा के प्रदाता अन्य निजी उस वायुयान को रोकने या निरुद्ध करने या कुर्की या बिक्री करने के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके लिए उस वायुयान के बावत उसके द्वारा सीधे उपलब्ध कराई गई सेवा के संबंध में उसके कानूनों के अधीन, भारत सरकार को, किसी ऐसी संस्था, संगठन या प्रदाता द्वारा धनराशियों का भुगतान देय है।”

[फा. सं. ए. वी. 11012/1/2014-ए]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम सरकारी राजपत्र में तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन तारीख 13 जनवरी, 2015 को अधिसूचना सं. सा.का.नि. 32 (अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2015

G.S.R. 78(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published, as required by Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 576(E), dated the 4th August, 2014, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to public;

And whereas copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 11th August, 2014;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the said Aircraft Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Third Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their final publications in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,—
 - (a) after clause (10A), the following clause shall be inserted, namely :—
‘(10AA) “Authorised Party” means the party referred to in Article XIII (3) of the Cape Town Protocol;’ ;
 - (b) after clause 11A, the following clauses shall be inserted, namely: —
‘(11AA) “Cape Town Convention” means the Convention on international interests in mobile equipment signed at Cape Town, South Africa on the 16th of November, 2001, together with any regulations made in connection therewith as acceded to by India on March 31, 2008;
(11AB) “Cape Town Protocol” means the Protocol to the Cape Town Convention on matters specific to Aircraft Equipment, signed in Cape Town, South Africa on the 16th of November, 2001, together with any regulations made in connection therewith as acceded to by India on the 31st March, 2008;’ ;
 - (c) after clause 28, the following clauses shall be inserted, namely:—
‘(28A) “IDERA” means the irrevocable deregistration and export requested, authorisation as contemplated in Article XIII of the Cape Town Protocol and substantially in the form and manner provided as an Annexure to the Cape Town Protocol;
(28B) “IDERA Holder” means the authorised party under an IDERA or its certified designee;’;
 - (d) after clause 47, the following clause shall be inserted, namely: —
‘(47A) “Registered Interest” means any interest registered pursuant to Chapter V of the Cape Town Convention;’.
3. In rule 30 of the said rules,—
 - (a) in sub-rule (6), in clause (iv), for the words “ is not in force; or”, the words “ has expired or has been terminated in accordance with terms of lease or” shall be substituted;
 - (b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
“(7) The registration of an aircraft registered in India, to which the provisions of the Cape Town Convention or Cape Town Protocol apply, shall be cancelled by the Central Government, as provided

in the Cape Town Protocol, if an application is received from IDERA Holder prior to expiry of the lease along with:—

- (i) the original or notarised copy of the IDERA; and
- (ii) a certificate that all Registered Interests ranking in priority have been discharged or the holders of such interest have consented to the deregistration and export:

Provided that the deregistration of an aircraft by the Central Government under sub-rule (6) or sub-rule (7) shall not affect the right of any entity thereof, or any inter-governmental organisation, or other private provider of public services in India to arrest or detain or attach or sell an aircraft object under its laws for payment of amounts owed to the Government of India, any such entity, organisation or provider directly relating to the services provided by it in respect of that object.”.

[F. No. AV.11012/1/2014-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* notification number G.S.R. 32 (E), dated the 13th January, 2015.